

केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

प्रथम अपील सं. CICOM/A/2017/60149
संदर्भ संचिका सं. CICOM/R/2017/50591

दिनांक: 25.10.2017

अपीलकर्ता : श्री अभय कुमार

निर्णय की तारीख : 25.10.2017

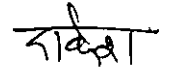
ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	11.10.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	12.10.2017, 13.10.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी का नाम	श्रीमती पुष्पा जनार्दनन, श्री ए. के. शर्मा, श्री कृष्ण अवतार तलवार
ऑनलाइन प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	17.10.2017

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से छः बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। अपीलकर्ता ने बिंदु सं. 1 के तहत सूचना मांगी थी कि स्पीड पोस्ट रसीद नं. ED199510628IN दिनांक 10.10.2017 को किस अधिकारी ने पत्र प्राप्त किया था, उस अधिकारी का नाम, पद व प्राप्त हुए पत्र के लिफाफे की छायाप्रति की मांग की थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्रीमती पुष्पा जनार्दनन द्वारा प्रदान की गई सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि "आपका पत्र दिनांक 06.10.2017 हमारे कंप्यूटराइज्ड डाक मैनेजमेंट सिस्टम के अनुसार डायरी नं. 171101 के तहत सेंट्रल रजिस्ट्री को भेजा गया है"। श्रीमती पुष्पा जनार्दनन द्वारा प्रदान की गई सूचना में पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है। अतः श्रीमती पुष्पा जनार्दनन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के दस दिनों के अंदर अपीलकर्ता को पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम एवं पदनाम संबंधी सूचना भी उपलब्ध करवाई जाए।

2. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन के बिंदु सं. 2 एवं 6 से संबंधित प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सही है, इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

3. श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा बिंदु सं 3, 4 एवं 5 के तहत सूचना प्रदान की गई है। बिंदु सं 3 एवं 5 के तहत प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सही है। श्री कृष्ण अवतार तलवार द्वारा बिंदु सं . 4 के तहत प्रदान की गई सूचना के संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि केन्द्रीय सूचना आयोग में स्टाफ की कोई कमी नहीं है एवं जहाँ भी नोटिंग की आवश्यकता होती है नोटिंग की जाती है। इस संदर्भ में श्री कृष्ण अवतार तलवार को निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में आर.टी.आई. आवेदनों का प्रतिउत्तर देते हुए सावधानी रखी जाए।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।



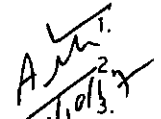
(आर. के. सिंह)

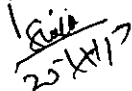
अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।
श्रीमती पुष्पा जनार्दनन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, डाक अनुभाग, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।
श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, सेंट्रल रजिस्ट्री - 1, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।


25/10/17


25/10/17


25/10/17